न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 29/2021

प्रार्थी

अशोक कुमार पुत्र अचलमलजी, जाति–जैन, निवासी– कृष्णगंज, तह. व जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) लुंबाराम पुत्र मानारामजी, जाति–कलबी, निवासी–कृष्णगंज, तह. व जिला–सिरोही
(2) ग्राम पंचायत, कृष्णगंज जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत,कृष्णगंज, तह. व जिला–सरोही

"निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा, प्रार्थी की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री नरेश पुरोहित, अप्रार्थी संख्या– 2 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 26 अक्टूबर, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी अशोक कुमार पुत्र अचलमल जी, जाति– जैन, निवासी– कृष्णगंज की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी लुंबाराम पुत्र मानाराम जी, जाति– कलबी, निवासी–कृष्णगंज के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 26 दिनांक 24.12.2021 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–2 (ग्राम पंचायत, कृष्णगंज) की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश कुमार पुरोहित उपस्थित हुए। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन में अप्रार्थी संख्या–1 (लुंबाराम) का वर्तमान पताः– सजायाफता कैदी, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर जरिये जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह अंकित किया गया है। जिस पर इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी लुंबाराम को जारी नोटिस तामिली हेतु अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर को इस न्यायालय के पत्र क्रमांकःरीडर/2021/918 दिनांक 06.8.2021 से प्रेषित किया गया। जो कारापाल, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर के पत्र क्रमांकःकारा/प्रशा./सी.टी./2021/8617 दिनांक 14.8.2021 के द्वारा इस रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय को प्राप्त हुआ कि बंदी वर्तमान में इस कारागृह में निरुद्ध नही है। जिस पर प्रार्थी के अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या–1 (लुंबाराम) को जारी नोटिस की तामिल अप्रार्थी लुंबाराम को समाचार पत्र में नोटिस छाया करवाकर करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या–1 (लुंबाराम) को इस न्यायालय द्वारा नोटिस की तामिल, अप्रार्थी लुंबाराम को जारी नोटिस को प्रार्थी के खर्च पर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में छाया करवाकर करवाये जाने के आदेश पारित किये गये। जिस पर इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी लुंबाराम को पुनः नोटिस जारी जाकर दैनिक समाचार पत्र में छाया करवाने हेतु प्रार्थी के अधिवक्ता को दिया गया। जो प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी पक्ष के खर्चे पर दैनिक समाचार पत्र जागरुक टाइम्स के सिरोही संस्करण में दिनांक 03 मई, 2022 को छाया करवाकर समाचार पत्र की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत की, लेकिन समाचार पत्र के माध्य से अप्रार्थी लुंबाराम को नोटिस की [illegible] के बाद भी नियत सुनवाई तिथि 23.5.2022 को एवं उसके [illegible] को अप्रार्थी इस न्यायालय में अप्रार्थी संख्या–1 (लुंबाराम) [illegible] हुआ। जिससे, इस न्यायालय [illegible]

...[illegible]ी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:49 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते

द्वारा दिनांक 21.6.202 को अप्रार्थी संख्या–1 (लुंबाराम) के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–2 (दो) की ओर से निगरानी आवेदन का जवाब प्रस्तुत नही होने पर अप्रार्थी संख्या–2 (दो) का जवाब बन्द किया गया।

(3) प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या–2 (दो) के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थी के निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रार्थी ग्राम कृष्णगंज का स्थाई निवासी है और परिवार सहित अपने बाप–दादाओं के समय से निवास करता आ रहा है। ग्राम पंचायत, कृष्णगंज ने अप्रार्थी लुंबाराम के नाम से पट्टा संख्या 26 दिनांक 24.12.2001 को जारी किया है, उक्त पट्टे की चतुदर्शी उत्तर में कब्जा भूमि दरवाजा, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में कब्जा भूमि व पश्चिम दिशा में भीमा पुत्र मानाजी कलबी का मकान है तथा नाप उत्तर–दक्षिण 25.6 फीट व पूर्व–पश्चिम में 26.6 फीट कुल क्षेत्रफल 680.75 वर्गफीट है। उक्त वर्णित नाप व चतुदर्शी के भूखण्ड का पट्टा संख्या 26 अप्रार्थी ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी लुंबाराम के पक्ष में दिनांक 24.12.2001 को जारी किया गया है एवं उक्त सम्पत्ति का ग्रामदानी ग्रामसभा, कृष्णगंज द्वारा पूर्व में पट्टा संख्या 294 दिनांक 13.2.1987 को अप्रार्थी लुंबाराम के पिता माना पुत्र देवा, जाति–कलबी, निवासी– कृष्णगंज के हक में जारी किया गया है। उक्त पट्टा संख्या 294 आज दिन तक वैध एवं प्रभावी होने के बावजूद भी पट्टा संख्या 294 के दक्षिणी–पश्चिमी आंशिक भाग का अप्रार्थी ग्राम पंचायत, कृष्णगंज ने अप्रार्थी लुंबाराम से मेल मिलाप कर छुपके से बिना आवासीय भूमि एवं कब्जे के अप्रार्थी लुंबाराम के नाम से पट्टा संख्या 26 दिनांक 24.12.2001 को जारी किया है। ग्राम पंचायत, कृष्णगंज ने अप्रार्थी लुंबाराम के प्रभाव में आकर उक्त प्रार्थी व उसके भाईयों के कब्जे मालकी व स्वामित्व की पट्टेशुदा भूमि का पुनः पट्टा जारी किया है, जो निरस्त योग्य है। यह कि ग्रामदानी ग्रामसभा, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी लुंबाराम के पिता माना पुत्र देवा कलबी के नाम से पट्टा संख्या 294 दिनांक 13.2.1987 को जारी किया था, जिसकी चतुर्दशी उत्तर में वक्तावरमल खण्डेलवाल व भीखा रूपा कलबी का मकान, दक्षिण में आम रास्ते में दो दरवाजे, पूर्व में मोहनलाल शंकरलाल महाजन का भूखण्ड़, पश्चिम में खालसा गली लंबी 32¼ फीट व नगा, भीखा पिता माना कलबी का मकान व दरवाजा गली में एक है एवं इस पट्टा संख्या 294 का नाप उत्तर 62 फीट, दक्षिण 69 फीट, पूर्व 81.3 फीट व पश्चिम में 77.6 फीट कुल क्षेत्रफल 5199 वर्गफीट है। इस पट्टा संख्या 294 दिनांक 13.2.1987 के उक्त नाप व चतुर्दशी का भूखण्ड़ प्रार्थी व उसके भाई हंजारीमल व सूरज कुमार ने जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 16.2.1987 को कीमतन राशि रूपये 5001/– (रुपये पांच हजार एक मात्र) में अप्रार्थी लुंबाराम के पिता माना पुत्र देवा कलबी से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। क्रयशुदा भूखण्ड के दक्षिण–पश्चिम में करीब 600 वर्गफीट का एक केलूपोश मकान बना हुआ था, वह भी उक्त बेचान में क्रय किया था। उक्त बेचान दस्तावेज ग्रामदानी ग्राम सभा, कृष्णगंज द्वारा पंजीकृत किया गया था जो आज तक वैध एवं प्रभावी है। उक्त सम्पत्ति प्रार्थी एवं उसके दोनों भाईयों के बीच अविभाजित सम्पत्ति है जिसका आज तक विभाजन नहीं हुआ है और प्रार्थी के दोनों भाईयों का स्वर्गवास हो चुका है एवं उनके वारिसानो द्वारा भी उक्त भूखण्ड की सार सभाल हेतु प्रार्थी को अधिकृत कर रखा है। उक्त पट्टा संख्या 294 में वर्णित नाप एवं चतुदर्शी के उक्त भूखण्ड मय केलूपोश मकान को प्रार्थी एवं उसके भाईयो द्वारा कीमतन [illegible] कब्जा प्राप्त किया था और उसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी एवं उसके [illegible] से आज दिन तक अप्रार्थी लुंबाराम व उसके परिवार [illegible] पंचायत, कृष्णगंज की जानकारी

......पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:49 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही सत्यमेव जयते

में करते आ रहे है। उक्त सम्पत्ति क्रय कर कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् उक्त सम्पत्ति के एकमात्र स्वामी प्रार्थी एवं उसके भाई रहे है। यह कि उक्त पट्टा संख्या 294 में वर्णित भूखण्ड में बना हुआ केलूपोश मकान जर्जर होने एवं समय के साथ रखरखाव के अभाव में खण्डरनुमा हो चुका है और वर्तमान में उसकी दीवार आधी-अधूरी खण्डर होकर खड़ी है। भूखण्ड के उत्तर, पूर्व एवं पश्चिम दिशा में पडौसियों के मकानों की दीवार बनी हुई है और दक्षिण दिशा में कांटों की बाड़ की हुई है। यह कि ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा मौके का भौतिक सत्यापन किए बिना, मौके की भौतिक स्थिति के विपरीत विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना ही प्रार्थी व उसके भाईयों के स्वामित्व व कब्जे अधिकार की भूमि का पट्टा संख्या 26 अप्रार्थी लुंबाराम के नाम से जारी किया है, जबकि अप्रार्थी लुंबाराम का उक्त विवादित भूखण्ड पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। अप्रार्थी लुंबाराम यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने के विगत करीब तेरह वर्ष से अधिक समय तक कारागृह में निरुद्ध रहा है। प्रार्थी अशोक कुमार गत माह अपने घर कृष्णगंज आया तो उक्त भूखण्ड पर गया तो देखा कि अप्रार्थी लुंबाराम की की माता एवं उसकी बहन जोर-जबरदस्ती प्रार्थी के मालकी, स्वामित्व एवं कब्जे के भूखण्ड को हड़पने की नीयत से षडयन्त्र रचकर अवैध अतिचार कर भूखण्ड में स्थित खण्डर केलूपोश मकान के आसपास साफ सफाई करवा रहे थे जिस पर प्रार्थी द्वारा मना कर उलाहना दिया तो अप्रार्थी लुंबाराम की माता व बहन आवेश में आकर प्रार्थी के साथ गाली गलौच करने लगे और कहा कि हमने ग्राम पंचायत से मिलकर भूखण्ड पर नल कनेक्शन लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र भी ले लिया है और भूखण्ड को जबरन हड़पने की धमकियां देने लगे, तब प्रार्थी ने दिनांक 10.6.2021 को एक प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत कृष्णगंज में पेश कर अप्रार्थी लुंबाराम के परिवार को दी गई जल संबंधी अनापत्ति खारिज करने हेतु निवेदन किया तब अप्रार्थी ग्राम पंचायत कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी लुंबाराम के परिवारजन के पक्ष में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करने का आश्वासन देने पर प्रार्थी व्यापार हेतु वापस अहमदाबाद चला गया। यह कि प्रार्थी अशोक कुमार की अनुपस्थिति में अप्रार्थी लुंबाराम के परिवारजन ने पुनः माह जून 2021 के अंतिम सप्ताह में प्रार्थी के स्वामित्व के पट्टा संख्या 294 में वर्णित भूखण्ड में अवैध प्रवेश कर पूर्व में बने केलूपोश मकान, जो वर्तमान में जर्जर होकर गिर गया था और मकान की पुरानी दीवार मौजूद थी जहां पर लोहे की ऐंगल लगाकर उस पर टीन शेड की चद्दर लगाने लगे, जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी पुनः अहमदाबाद से कृष्णगंज आया और देखा तो अप्रार्थी लुंबाराम के परिवारजन, प्रार्थी के भूखण्ड पर जबरन कब्जा कर हड़पने की नीयत से भूखण्ड के दक्षिण-पश्चिम भाग पर टीन शेड व दीवार का निर्माण करवा रहे थे तब प्रार्थी ने अप्रार्थी ग्राम पंचायत कृष्णगंज को पुनः इस संबंध में शिकायत की तो प्रार्थी को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि उक्त पट्टा संख्या 294 के भूखण्ड पर बिना कोई कब्जे एवं आधिपत्य के ग्राम पंचायत, कृष्णगंज ने अप्रार्थी लुंबाराम को नाजायज फायदा पहुंचाने की नीयत से पट्टा संख्या 26 जारी किया है। अप्रार्थी लुबाराम का कभी भी विवादित सम्पत्ति पर कब्जा नहीं रहा है तथा आज भी उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा एवं आधिपत्य है तथा उसका उपयोग व उपभोग कर रहा है। अप्रार्थी लुंबाराम के परिजन उक्त शून्य व अकृत पट्टे की आड़ में प्रार्थी के पट्टा संख्या 294 की क्रयशुदा भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है और इसी उद्धेशय से उसके परिवारजन ने खण्डर केलूपोश दीवारों के ऊपर टीनशेड की चद्दर लगायी है। ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी लुंबाराम के पक्ष में कुटरचित तरीके से जारी पट्टा संख्या 26 अवैध [illegible] किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यदि उक्त पट्टे को निरस्त नहीं [illegible] है तो प्रार्थी को बहुविवाद में उलझना पड़ेगा तथा वह अपने [illegible] के उपयोग व उपभोग से वंचित हो जायेंगे। प्रश्नगत [illegible] की आड में अप्रार्थी लुंबाराम के

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:49 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते

परिवारजन द्वारा प्रार्थी के मालकी, स्वामित्व एवं कब्जे के भूखण्ड में अवरोध उत्पन्न करने व कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या–2 (ग्राम पंचायत, कृष्णगंज) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी लुंबाराम के पक्ष में जिस भूमि का ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा पट्टा संख्या 26 दिनांक 24.12.2001 को जारी किया है उस भूमि पर पुराना केलूपोश बना हुआ था जो अप्रार्थी लुंबाराम व उसके परिवारजन के कब्जे, आधिपत्य व उपयोग व उपभोग में आ रहा था। जिसका पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत, कृष्णगंज में अप्रार्थी लुंबाराम द्वारा आवेदन करने पर ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा विधि में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों का पालन करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1)(ख) के तहत विनियमितिकरण कर अप्रार्थी लुंबाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 26 दिनांक 24.12.2001 को पट्टा जारी किया है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी लुंबाराम पुत्र मानाराम जी, जाति–कलबी, निवासी– कृष्णगंज के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1)(ख) के तहत क्षेत्रफल 680.75 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या **26** दिनांक 24.12.2001 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा :–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 100/– रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 200/– रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप–खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप–खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड़ (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षो के दौरान'' के स्थान पर अभिव्यक्ति 31.12.2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान'' प्रतिस्थापित की गई है।

इस संबंध में प्रार्थी पक्ष का मुख्यतः कथन यह है कि ''ग्राम पंचायत, कृष्णगंज ने अप्रार्थी लुंबाराम के पक्ष में [illegible] 26 दिनांक 24.12.2001 को जारी किया है, वह भूमि ग्रामदानी ग्रामसभ[illegible] द्वारा जारी पट्टा संख्या 294 दिनांक 13.2.1987 के दक्षिणी[illegible] है। उक्त पट्टा संख्या 294 दिनांक 13.2.1987 को [illegible] द्वारा अप्रार्थी लुंबाराम के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:49 IST
Reason: SelfAttested

....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते

मानाराम पुत्र देवाजी कलबी, निवासी– अनादरा के पक्ष में जारी किया था एवं इस पट्टा संख्या 294 दिनांक 13.2.1987 की भूमि को प्रार्थी व उसके भाईयों द्वारा अप्रार्थी मानाराम पुत्र देवाजी कलबी, निवासी– अनादरा से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 16.2.1987 के द्वारा कीमतन क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था, लेकिन ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी लुंबाराम के पक्ष में उक्त पट्टा संख्या 294 दिनांक 13.2.1987, के दक्षिणी पश्चिमी आंशिक भाग की भूमि का पुनः पट्टा संख्या 26 दिनांक 24.12.2001 को जारी किया है, जो नियम के विरुद्ध है।''

प्रकरण में प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित हो सके कि वस्तुतः ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी लुंबाराम के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, वह भूमि ग्रामदानी ग्रामसभा, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी लुंबाराम के पिता मानाराम पुत्र देवाजी कलबी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 294 दिनांक 13.2.1987 का ही भाग हो। निगरानी आवेदन में अंकित कथनों का साबित करने का दायित्व प्रार्थी निगरानीकार का है, लेकिन प्रार्थी निगरानीकार, निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने में असफल रहा है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत, कृष्णगंज की मिसल संख्या 25 फैसल दिनांक 20.12.2001 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी लुंबाराम के आवेदन पर ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी लुंबाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 26 दिनांक 24.12.2001 को जारी किया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी लुंबाराम को ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा दिनांक 24.12.2001 को पट्टा जारी किया है, लेकिन उक्त पट्टा संख्या 26 दिनांक 24.12.2001 को निरस्त कराने हेतु प्रार्थी निगरानीकार ने पट्टा जारी होने के 20 वर्ष बाद निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है एवं इस विलम्ब की अवधि के संबंध में कोई ठोस कारण प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में अंकित नही किया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार हस्तगत निगरानी आवेदन सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26 अक्टूम्बर, 2023 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:49 IST
Reason: SelfAttested